

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास अनुभाग – 3  
संख्या – 958 / 9–आ–3–2001  
लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2001

### अधिसूचना

चूंकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित नगरों की महायोजनाओं तथा परिक्षेत्रीय योजनाओं में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्राविधान किए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु एक सूचना दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक आज, टाइम्स ऑफ इण्डिया, अमर उजाला, हिन्दुस्तान टाइम्स, नार्दन इण्डिया पत्रिका, स्वतन्त्र चेतना तथा पायनियर समाचार पत्रों में दिनांक 18.11.2000 को प्रकाशित की गई थी और चूंकि उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर राज्य सरकार को कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए। अतएव अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन अधिनियम, 1974) उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा-13(2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल अनुसूची में दी गई महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

- (i) महायोजना में प्राविधानित आवासीय, कार्यालय, संस्थागत तथा व्यवसायिक भू-उपयोगों के अन्तर्गत 5 के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयाँ अनुमन्य होंगी।
- (ii) सॉफ्टवेयर टैक्नॉलॉजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सामान्यतः अनुमन्य एफ.ए.आर. से 50 प्रतिशत अधिक एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा जिसकी सीमा यथास्थिति आवासीय/ कार्यालय (जिसका भी एफ.ए.आर. अधिक हो) हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. तक होगी। परन्तु अधिकतम भू-आच्छादन महायोजना/भवन उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।

### नगरों की सूची (जहाँ महायोजनायें लागू हैं)

#### विनियमित क्षेत्र

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. फर्रखाबाद—फतेहगढ़ | 17. मोदीनगर      |
| 2. इटावा             | 18. रामपुर       |
| 3. कन्नौज            | 19. उरई          |
| 4. जौनपुर            | 20. चित्रकूट     |
| 5. गाजीपुर           | 21. हमीरपुर      |
| 6. दयालबाग           | 22. महोबा        |
| 7. मैनपुरी           | 23. अमेठी        |
| 8. एटा               | 24. देवरिया      |
| 9. हाथरस             | 25. पड़रौना      |
| 10. कासगंज           | 26. कुशीनगर—कसया |
| 11. फतेहपुर          | 27. नौतनवां      |
| 12. शाहजहांपुर       | 28. आजमगढ़       |
| 13. बबराला           | 29. बलिया        |
| 14. बदायूँ           | 30. बहराइच       |
| 15. पीलीभीत          | 31. श्रावस्ती    |
| 16. गढ़मुक्तेश्वर    | 32. ओबरा         |

## विकास क्षेत्र

1. कानपुर
2. लखनऊ
3. वाराणसी
4. आगरा
5. इलाहाबाद
6. मेरठ
7. बरेली
8. गाजियाबाद
9. गोरखपुर
10. अलीगढ़
11. मुरादाबाद
12. सहारनपुर
13. झांसी
14. मथुरा—वृन्दावन
15. फौजाबाद—शिकोहाबाद
16. फैजाबाद
17. बुलन्दशहर—खुर्जा
18. रायबरेली
19. उन्नाव—शुक्लागंज
20. बांदा
21. मुजफ्फरनगर
22. हापुड़—पिलखुआ

आज्ञा से,

अनुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या — 958(1) / 9—आ—3—2001 तददिनांक

प्रतिलिपि सूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे दिनांक .....2001 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग—4 खण्ड ‘ख’ में प्रकाशित कराएं तथा 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को तथा नीचे अंकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियाँ सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी  
विशेष सचिव

संख्या — 958(1) / 9—आ—3—2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष 10—10 प्रतियाँ
2. सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष 10—10 प्रतियाँ
3. सम्बन्धित विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारी 10—10 प्रतियाँ
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश 10 प्रतियाँ
5. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु 10 प्रतियाँ

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी  
विशेष सचिव

Uttar Pradesh Shasan  
Housing Section-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification No. 958/19-A-3-2001, Dated .....2001.

Notification No. 958/9-A-3-2001, Dated .....2001

Whereas, a notice inviting objections and suggestions with respect to the amendment in the Master Plan and Zonal Development Plans of the cities given in the following schedule in order to make necessary provisions for promotion of Information and Technology, was published in the newspapers namely Dainik Jagran, Rashtriya Sahara, Dainik Aaj, Times of India, Amar Ujala, Hindustan Times, Northern India Patrika, Swatantra Chetna and Pioneer dated November 18-2000,

And, whereas, no objections and suggestions were received by the government within the time specified in the aforesaid notice.

Now, therefore, in exercise of the powers under sub-section(2) of section-13 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) as re-enacted by the Uttar Pradesh President's (Re-enactment with Modifications) Act (U.P. Act. No. 30 of 1974), the Governor is pleased to make the following amendments in the Master Plan Zoning Regulations of the cities given in the schedule below :-

(i) Information Technology units upto 5 KVA capacity shall be permissible in the Residential, Offices, Institutional and Commercial use zones of the master Plan.

(ii) Additional 50% FAR shall be permitted over and above the general FAR permissible for Information and Technology Units setup in the Software Technology Parks and Information Technology Parks subject to the condition that the total FAR shall not exceed the total FAR permissible for residential/office use (as the case may be). However, Maximum ground coverage shall be permissible as per norms provided in the Master Plan/Building Bye-Laws/Gos.

## List of Towns (Where Master Plans are enforced)

### Regulated Areas

- 1- Farrukhabad-
- 2- Etawah
- 3- Kannauj
- 4- Jaunpur
- 5- Ghazipur
- 6- Dayalbagh
- 7- Mainpuri
- 8- Etah
- 9- Hathras
- 10- Kasganj
- 11- Fatehpur
- 12- Shahjahanpur
- 13- Babrala
- 14- Badaun
- 15- Pilibhit
- 16- Garh Mukteshwar
- 17- Modinagar
- 18- Fatehgarh
- 19- Rampur
- 20- Orai
- 21- Chitrakoot
- 22- Hamirpur
- 23- Mahoba
- 24- Amethi
- 25- Deoria
- 26- Padrauna
- 27- Kushinagar-Kasiya
- 27- Nautanwa
- 28- Azamgarh
- 29- Ballia
- 30- Bahraich
- 31- Shravasti
- 32- Obra

### Development Areas

- 1- Kanpur
- 2- Lucknow
- 3- Varanasi
- 4- Agra
- 5- Allahabad
- 6- Meerut
- 7- Bareilly
- 8- Ghaziabad
- 9- Gorakhpur
- 10- Aligarh
- 11- Moradabad
- 12- Saharanpur
- 13- Jhansi
- 14- Mathura-Vrindavan
- 15- Firozabad-Shikohabad
- 16- Faizabad
- 17- Bulandshahar-Khurja
- 18- Raibareli
- 19- Unnao-Shuklaganj
- 20- Banda
- 21- Muzaffarnagar
- 22- Hapur-Pilkhuwa

By Order,

Atul Kumar Gupta  
Secretary